

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नवा रायपुर अटल नगर
(E-mail : gad10.cg@gov.in, Ph.: 0771-2510825)

क्रमांक GENS-11/38/2024-GAD-11
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16-10-2025

शासन के समस्त विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय :- मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ विभागीय अधिकारियों को कक्ष आबंटन के संबंध में।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2207/432/2022/1-8, दिनांक 03.10.2022

-----000-----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। उक्त पत्र द्वारा मंत्रालय अंतर्गत विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को संलग्न/पदस्थ करने के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं। निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा बिना सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमति के अपने स्तर पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ करने की कार्यवाही की जा रही है, तदोपरान्त कक्ष आबंटित करने हेतु इस कक्ष को प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं। यह कार्यवाही नियम/प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

2/ विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किये जाने और मंत्रालय में बैठक व्यवस्था हेतु कक्ष सीमित होने के फलस्वरूप अधिकारियों को कक्ष आबंटन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

3/ वर्तमान में मंत्रालय में शासकीय कार्यों का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालय से पदस्थ/संलग्न अधिकारी अपने मूल कार्यालय स्थल से ई-ऑफिस के माध्यम से शासकीय कार्य संपादित कर सकते हैं।

4/ अतः आदेशानुसार मंत्रालय अंतर्गत विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग से बिना सहमति के मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ किये जाने पर कक्ष आबंटन की पात्रता नहीं होगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SHAILABH KUMAR SAHU
Date: 16-10-2025

11:11:17 (शैलाभ कुमार साहू)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. GENS-11/38/2024-GAD-11
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16-10-2025

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

की ओर सूचनार्थ।

Digitally signed by
RAMADHIN UIKEY
Date: 16-10-2025
12:44:25

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक 207/432/2022/1-8,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/10/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)।

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग की बिना सहमति के विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ नहीं करने के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य सचिव कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 212/मु.स./2007, दिनांक 26.03.2007, इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-6/2003/1-8, दिनांक 06.05.2003 एवं पृ. क. 2749/3382/2013/1-8, दिनांक 09.12.2013.

संदर्भित परिपत्रों द्वारा मंत्रालय अन्तर्गत विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को संलग्न/पदस्थ करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि:-

- (1) किसी भी विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को अपने स्तर पर मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ करने के आदेश जारी नहीं किये जायेंगे अपितु उक्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात् स्वयं स्पष्ट प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को सहमति हेतु भेजे जावें।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बिना किसी भी विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को मंत्रालय में तैनात न किया जाए।
- (3) बिना सामान्य प्रशासन विभाग को सेवायें सौंपे अथवा बिना सहमति के कार्योत्तर अनुमोदन/पुष्टि की प्रत्याशा में विभागीय अधिकारियों की मंत्रालय में पदस्थापना न की जाये अपितु सामान्य प्रशासन विभाग को सेवाएं सौंपी जाये।

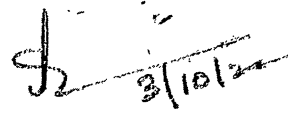
2/ उपरोक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा बिना सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के अपने स्तर से विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को मंत्रालय में संलग्न/पदस्थ करने की कार्यवाही की जा रही है, तदोपरांत कार्योत्तर सहमति प्रदान करने, कक्ष आवंटित करने, मंत्रालय भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु इस विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं, जो नियमानुसार उचित नहीं है।

निरंतर...2...

3/ उल्लेखनीय है कि मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक व्यवस्था हेतु कक्षा, निजी स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं सीमित होने के कारण उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने में कठिनाईयां हो रही हैं, साथ ही पद स्वीकृत नहीं होने अथवा रिक्त नहीं होने की स्थिति में वेतन आहरण में भी कठिनाई होगी।

4/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग की बिना सहमति के अथवा कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को मंत्रालय में पदस्थ/संलग्न करने की कार्यवाही नहीं किया जावे।

कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाये।

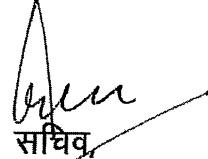

(अमिताभ जैन)
मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

पृ.क्रमांक 2208 / 432 / 2022 / 1-8,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग(अधीक्षण), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,


सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग